

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2024/456 ✓

| किरम मुकदमा 1 | नंबर मुकदमा 2 | तारीख दायर 3 | तारीख फेरला 4 | पेशी दिनांक 5 |
|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|
| 111-128 प्रार्थना-पत्र | 278/24 | 3/12/24 | | 12/12/24 19/12/24 21/12/24 |

अनवान

श्री शंकरलाल पिता बीता चम्पू

श्री बीता पिता राजमल चम्पू

निवासी अष्टपुरिया, बिजौलिया

निवासी अष्टपुरिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रैस्पोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री विमल कुमार अधिकारी





श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम विजौलियां
 : शेखरनाथ वनाम डी.टी.
 फेरम मुकदमा - 11-128 नम्बर 278 / 2024

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---------------|---|---|
| 03/12/2024 | <p>प्रार्थना पत्र सीमे रो बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 12/12/2024 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड/अधिकारी विजौलियां </p> | गामीलडाफ |
| 12/12/24 | <p>पत्रावली पेश हुई। अभियन्तक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान ए.ए. के दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 12/12/24 को वास्ते तलबी पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी </p> | |
| 19/12/24 | <p>पत्रावली पेश हुई। खमस्त विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, छिन्ने शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी बाद सुनाना अनुपस्थित। विपक्षी को 3 बार हाजिर लगाए गए। विपक्षी अनुपस्थित रहा। विपक्षीगण के विरुद्ध एड-पक्षीय कार्रवाई कार्रवाई किए गए। पत्रावली वास्ते बहल/निर्णय आगामी दिनांक 21/12/24 को प्रशासन गौतों के रोजा कैंप में पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी विजौलियां जिला-भीलवाड़ा </p> | |
| 21/12/24 | <p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में निर्णय पृष्ठ से लिखवाया गया एवं कैंप में सुनाया गया। पत्रावली फेरम शुमार होकर जम्बल से कम होकर वास्ते पत्रावली हो</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी विजौलियां जिला-भीलवाड़ा </p> | |



उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या २४/२०२४

दिनांक :- ०३/१२/२०२४

प्रेषिति :-

तहसीलदार बिजौलियां

विषय :- प्रकरण संख्या २४/२०२४ पत्थरगढी बाबत ।

- 1 शंकरलाल पिता घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज0
- 2 शिवलाल पिता घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज0
- 3 मांगीबाई पिता घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज0
- 4 सरजुदेवी पत्नि घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज0

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. रामचन्द्र पिता काना उर्फ खाना जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज0
2. बन्शीलाल पिता काना उर्फ खाना जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज0
3. छीतर पिता राजमल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज0
4. रमेश पिता खाना जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज0
5. हीरालाल पिता घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज0
6. शंकर पिता तुलसीराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज0

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है मौजा ग्राम जोलास पटवार हल्का चान्द जी की खेडी तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 32 पर अंकित आराजी 187 कुल किता 01 रकबा 0.7527 हैक्टेयर भूमि की बशामलाती पडौसीयान की पत्थरगढी की जावे मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे। तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। भु-अभिनिरक्षिक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस नियमानुसार पत्थरगढी बेवक्त प्रार्थी से अदा करेगा। पत्थरगढी करने के पूर्व में विपक्षीगणो एवं पडौसीयान को नोटिस देकर सूचित किया है।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

पडौसीयान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/-